

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4105
उत्तर देने की तारीख: 18.07.2019

खादी उत्पादों की बिक्री

†4105. श्री बालक नाथ:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में हाल ही में खादी उत्पादों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खादी उत्पादों का उत्पादन, बिक्री और निर्यात कितना है; और
(ग) सरकार द्वारा खादी उद्योग के संवर्धन और इसकी निर्यात क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) जी, हाँ।

(ख) खादी के विक्रय में वर्ष 2017-18 के दौरान 2510.21 करोड़ रु. से वर्ष 2018-19 के दौरान 3215.13 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जो लगभग 28% की वृद्धि दर्शाता है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खादी का उत्पादन और विक्रय निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)	2019-20 (31.05.2019 की स्थिति के अनुसार)
खादी का उत्पादन	1520.83	1626.66	1963.30	269.95
खादी का विक्रय	2146.60	2510.21	3215.13	390.63

खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्पादों का निर्यात खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों और इकाइयों द्वारा सीधे अथवा व्यापारी निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी सीधे निर्यात नहीं करता है। विगत तीन वर्षों के लिए वर्ष-वार खादी उत्पादों का निर्यात नीचे दिया गया है, परंतु चालू वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े केवीआईसी के पास अभी उपलब्ध नहीं हैं/संकलित नहीं की गई है।

(रु. लाख में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
रेडीमेड वस्त्रों सहित खादी उत्पादों का निर्यात	301.47	186.38	185.00

(ग) खादी उद्योग को बढावा देने और खादी उत्पादों के संवर्धन और निर्यात के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम/पहल अनुबंध में दिए गए हैं।

दिनांक 18.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 4105 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

खादी उत्पादों के निर्यात और संवर्धन के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. खादी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा "खादी मार्क" अधिसूचित किया गया है।
2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन को सहायता देने के लिए केवीआईसी को मानद ईपीसी का दर्जा दिया है। 1088 खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयों ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसकी सदस्यता ली है। केवीआईसी अपनी सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं इकाइयों के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।
3. खादी संस्थाओं के लिए प्रदर्शनियां लगाकर तथा कार्यशाला आयोजित कर विदेशी बाजार में व्यवसाय अवसरों को शक्ति प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाईअप का प्रबंध।
4. एनआईएफटी आदि के साथ नवप्रवर्तनकारी निर्यात गुणता उत्पाद डिजाइन लाने के लिए टाईअप का प्रबंध।
5. केवीआईसी ने विदेश में 10 भारतीय वाणिज्य दूतावास में 15 अगस्त 2018 को 72वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के अवसर पर समारोह में भाग लिया/खादी उत्पादों का प्रदर्शन/संवर्धन किया।
6. विदेश में 57 भारतीय दूतावास/मिशनों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर "वैश्विक खादी" के कार्यक्रम के अंतर्गत खादी उत्पादों को प्रदर्शित/संवर्धित किया।
7. "खादी" की विशिष्ट पहचान के लिए केवीआई उत्पादों की निर्यात संभावना को पहचानते हुए वाणिज्य मंत्रालय से खादी उत्पादों की 22 मदों के लिए एक पृथक एचएस कोड हेतु भी अनुरोध किया गया है।
8. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और केरल से 10 केवीआई संस्थाओं/इकाइयों सहित दिनांक 12-14 मार्च 2019 को आईटीपीओ द्वारा आयोजित सेंट पीटर्स बर्ग (रूस) में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।
9. केवीआईसी ने घरेलू एवं विदेशी बाजार क्षेत्र में खादी उत्पादों को और प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर नियुक्त किया।
10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रौद्योगिकी समिथ्रण और/या उन्नयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, उनका आधुनिकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के माध्यम से उनके निर्यातों का संवर्धन।

क. अधिकतम 1.50 लाख रु. के अधीन आने-जाने का इकोनोमी क्लास का हवाई भाड़ा या चुकाया गया वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो।

ख. अधिकतम 1.00 लाख रु. के अधीन स्थान किराया का 100% या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो।

ग. 150 अमरीकी डॉलर प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता।

11. विदेशों में केवीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचने तथा व्यापार संधियों को आगे बढ़ाने आदि के लिए विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदें एवं सहायता का पैमाना निम्नलिखित होगा:

क्र.सं.	पात्र मदें	केवीआई के लिए सहायता का पैमाना
i)	स्थान किराया	अधिकतम 1.25 लाख रु. के अधीन 100% स्थान किराया या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (प्रत्येक भाग लेने वाले उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)
ii)	हवाई किराया	अधिकतम 1.00 लाख रु. के अधीन इकोनॉमी क्लास के हवाई किराया का 100% या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (प्रत्येक भाग लेने वाले उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)

12. केवीआईसी ने शॉप इन शॉप अवधारणा से 'खादी कॉर्नर' की स्थापना के लिए खुदरा वस्त्र भण्डार शृंखला में मैसर्स ग्लोबस के साथ समझौता किया है। आरंभ में नोएडा में ग्लोबस शोरूम, उसके बाद चैन्ने एवं अहमदाबाद में ग्लोबस शोरूम शुरू किया गया।
13. उत्कृष्ट खादी डिजाइनर वस्त्रों के साथ आधुनिक 'खादी लाउन्ज' की स्थापना करना।
14. बिक्री वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए 'फ्रेंचाइजी स्कीम' आरंभ करना।
15. ई-कॉमर्स कम्पनियां जैसे पेटीएम के माध्यम से ऑन-लाइन विपणन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के साथ टाईअप करना।
16. विशाखापत्तनम, लखनऊ, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बिक्री आउटलेट खोलना।
17. डाकखानों में खादी आउटलेट खोलना।
18. खादी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्टोरों में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर खादी इण्डिया बिक्री आउटलेटों का पता लगाने के लिए ग्राहकों की सुविधा हेतु मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 'स्टोर एप' का शुभारंभ किया गया।
19. पीएसयू और सरकारी विभागों सहित कॉर्पोरेट उपहारों के लिए प्रीपेड उपहार वाउचर स्कीम का आरंभ।
20. आकर्षक टी-शर्ट, खादी जींस, जैकेट, कुर्ती आदि शुरू कर युवाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न तथा मिस ऋतुबेरी द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए विचार वस्त्र नामक कैजुअल वियर की रेंज प्रारंभ करना।
21. पीएसयू तथा सरकारी विभागों सहित कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए प्रीपेड गिफ्ट वाउचर स्कीम शुरू करना।
